2.1.2025 वकील सरकार उपस्थित। अपीलार्थी। कौन प्रतिवादी सरकार उपस्थित नहीं। आज दिन में उपस्थित रहने का अवसर दिया जाता है। कौन तरफना पक्ष के अपीली संख्या 8 के कायमझाम पेश नहीं होने पर अपीली पेशी पर स्वतः अवसर दे जायेगा। दिनांक 16.1.2025 को पेशी की स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

16.1.2025 वकील उपस्थित हाजिर। अपीली संख्या 8 के कायमझाम पेश नहीं। अपीली संख्या 8 के विपक्ष पूर्व आदेशानुसार स्वतः अवसर देने के अपीली संख्या 8 के विपक्ष अवसर दिया

(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाता है। इसलिए अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर स्थगन सुनी गई। प्रत्यर्थी पक्ष ने प्रकरण में वर्णन इस प्रकार है कि मौजा कपासन की आ0 नं0 5553 रकबा 0.10 हे. प्रार्थी के नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण प्रकरण प्रवेश करने व दखलअन्दाजी करने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे का निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने उत्तर में निवेदन किया कि आ0 नं0 5553 पर उनका कब्जा है जो कि सेटलमेन्ट में दर्ज उनकी खातेदारी में दर्ज था। सेटलमेन्ट कार्य भरवा में त्रुटि के है जिसके कारण आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज हुये है। उक्त आराजीयात पर अप्रत्यक्षिय का कब्जा है अतः प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इसमें प्रार्थना पत्र, काउंटर प्रार्थना पत्र का नकलात किया कि गई खसरा पर अंकन किया। पक्षकारों ने दिनांक 3-7-2013 को स्वयमेव प्रस्तुत हुए है। अतः स्थाल स्थिति मौका, कृषिया अन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष के बनता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मूल वाद 325/2012 के निर्णय तक मौका स्थानान्तर पर कपासन तहसील कपासन की आ0 नं0 5553 रकबा 0.10 हे. में अप्रार्थी नेत्रा 8 को छोड़ते हुये शेष कोई कोई पर दखलअन्दाजी करने का कम से कम। कोई की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रकरणी केवल मूल वाद तक नस्त से का हो। आदेश मुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़